भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2590
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

तमिलनाडु के लिए चक्रवात राहत हेतु सहायता

†2590. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में गाजा, एक भयंकर चक्रवाती तूफान द्वारा तबाही मचाने के पश्चात् प्रदान किए गए राहत और पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) गाजा द्वारा मचाई गई तबाही के पश्चात् तमिलनाडु राज्य को प्रदान किए गए राहत पैकेज के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई दीर्घावधि उपाय प्रदान करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार आपदा की स्थिति में बचाव और राहत प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें संभारतंत्रीय (लॉजिस्टिक्स) और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार प्रभावित राज्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जो हुए नुकसान के लिए मुआवज़े के तौर पर नहीं, बल्कि "तत्काल राहत" के लिए

होती है। जहां तक पुनर्वास, पुनर्निर्माण, मध्य और दीर्घकालिक उपायों का संबंध है, यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/केन्द्रीय स्कीमों और अपनी मौजूदा नीतियों के आधार पर किया जाना होता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर पुनर्वास संबंधी उपायों के निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

तमिलनाडु राज्य में "गाजा चक्रवात" से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार, एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अध्यधीन 1146.12 करोड़ रूपये की सहायता का अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, एनडीआरएफ से 900.31 करोड़ रूपये की राशि राज्य को जारी कर दी गई है। इसके अलावा, दिनांक 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार, उनके एसडीआरएफ में वर्ष 2018-19 के लिए आबंटित 786 करोड़ रूपये की राशि के अलावा 491.62 करोड़ रूपये की राशि भी उपलब्ध थी। इस प्रकार, लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य के पास वर्ष 2018-19 के लिए कुल 2177.93 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध थी।

*****